



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 554]	नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2018/पौष 10, 1940
No. 554]	NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2018/PAUSHA 10, 1940

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 31 दिसम्बर, 2018

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध)

(संशोधन) विनियम, 2018

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/56.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 कहा जा सकेगा।
2. वे 1 फरवरी, 2019 को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 में,

(1) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ख) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्:

"(ख) "प्रतिभूतियों में ब्यौहार (डीलिंग)" में शामिल है:

- (i) किसी प्रतिभूति (सिक्क्यूरिटी) के किसी निर्गम (इश्यू) के अनुसरण में खरीदना (क्रय करना), बेचना (विक्रय करना) या पैसा लगाना (अभिदान करना / सब्क्राइब करना) अथवा किसी प्रतिभूति (सिक्क्यूरिटी) के किसी निर्गम (इश्यू) में खरीदने, बेचने या पैसा लगाने (अभिदान करने / सब्क्राइब करने) के लिए सहमत होना अथवा किसी प्रतिभूति (सिक्क्यूरिटी) में किसी भी प्रकार से अन्यथा लेन-देन (संव्यवहार / ट्रांजैक्शन) करना, किन्हीं व्यक्तियों द्वारा [जिनमें मालिक (प्रिंसिपल), अभिकर्ता (एजेंट) या अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) शामिल हैं];
- (ii) ऐसे कार्य जो जानबूझकर इस प्रकार किए जाएं कि उनका असर प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) में निवेश (विनिधान) करने वाले निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) के निर्णय (विनिश्चय) पर पड़े; और
- (iii) उपरोक्त कार्यों को करने में सहायता प्रदान करने हेतु किया जाने वाला कोई कार्य"

(2) विनियम 4 में,-

(क) शीर्षक निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्:-

“हेराफेरीयुक्त (छलसाधक), कपटपूर्ण और अक्रजु (अनुचित) व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध”

(ख) उप-विनियम (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्:-

“(1) विनियम 3 के प्रावधानों (उपबंधों) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई भी व्यक्ति प्रतिभूति बाजारों (सिक्क्यूरिटीज़ मार्केट्स) में हेराफेरीयुक्त, कपटपूर्ण या अक्रजु (अनुचित) व्यापारिक व्यवहार में लिप्त नहीं होगा।”

(ग) उप-विनियम (2) में,-

i. शब्द और चिह्न “प्रतिभूतियों में व्यौहार कपटपूर्ण या अक्रजु व्यापारिक व्यवहार समझा जायेगा यदि यह कपट में अंतर्वलित होता है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से समस्त या कोई हो सकेगा, अर्थात्” निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, अर्थात्:-

“प्रतिभूतियों में व्यौहार (डीलिंग) हेराफेरीयुक्त, कपटपूर्ण या अक्रजु (अनुचित) व्यापारिक व्यवहार समझा जाएगा, यदि उसमें निम्नलिखित में से कोई शामिल हो”;

ii. खंड (क) से खंड (ज) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, अर्थात्:-

“(क) ऐसे किसी कार्य में जानबूझकर लिप्त रहना, जिससे प्रतिभूति बाजार (सिक्क्यूरिटीज़ मार्केट) में व्यापार का मिथ्या या भ्रामक रूप सृजित हो;

(ख) प्रतिभूति में ऐसा व्यौहार (डीलिंग) जो हिताधिकारी स्वामित्व (बेनिफिशियल ओनरशिप) का अंतरण (ट्रांसफर) करने के इरादे से न किया जाए, बल्कि वह केवल गलत तरीके से मुनाफा (लाभ) कमाने या नुकसान से बचने के लिए ऐसी प्रतिभूति (सिक्क्यूरिटी) की कीमत को बढ़ाने, घटाने या उसमें उतार-चढ़ाव लाने के इरादे से किया जाए;

(ग) प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) के किसी निर्गम (इश्यू) में कपटपूर्ण तरीके से न्यूनतम अभिदान (सब्क्रिप्शन) प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को पैसा देकर या पैसा देने के लिए सहमत होकर या किसी अन्य तरीके से किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिभूतियों के ऐसे निर्गम में पैसा लगाने (सब्क्राइब करने) के लिए उकसाना (उत्प्रेरित करना);

(घ) बनावटी (कृत्रिम) रूप से किन्हीं प्रतिभूतियों (सिक्कूरिटीज़) की कीमत को बढ़ाने, घटाने, कायम रखने या उसमें उतार-चढ़ाव लाने हेतु ऐसी प्रतिभूतियों में व्यौहार (डीलिंग) करने के लिए किसी व्यक्ति को, किसी भी तरीके से (जिसमें शामिल है - किसी व्यक्ति को, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, पैसा या पैसे के समतुल्य कुछ अदा करना, अदा करने की पेशकश करना अथवा अदा करने या अदा करने की पेशकश करने के लिए सहमत होना) उकसाना (उत्प्रेरित करना);

(ङ) ऐसा कोई कार्य जिसे करने या न करने की वजह से प्रतिभूति (सिक्कूरिटी) की कीमत में हेराफेरी हो जाए [जिसमें शामिल है - किन्हीं प्रतिभूतियों की संदर्भ कीमत (रेफ़रेंस प्राइस) या बेंचमार्क कीमत पर असर डालना या उसमें हेराफेरी करना];

(च) प्रतिभूतियों (सिक्कूरिटीज़) में व्यौहार (डीलिंग) करने से पहले या के दौरान, प्रतिभूतियों में व्यौहार करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों से संबंधित कोई ऐसी जानकारी [जिसमें वित्तीय परिणाम, वित्तीय विवरण, विलय (मर्जर) तथा अर्जन (एक्विज़िशन), विनियामक मंजूरियाँ शामिल हैं] जो सत्य न हो या जिसके बारे में उसका यह मानना हो कि वह सत्य नहीं है, जानबूझकर प्रकाशित करना या प्रकाशित करवाना अथवा उसकी रिपोर्ट करना या रिपोर्ट करवाना;

(छ) प्रतिभूतियों (सिक्कूरिटीज़) में इस इरादे से लेनदेन (संव्यवहार / ट्रांजेक्शन) करना कि वह पूरा न हो या उससे ऐसी प्रतिभूति के स्वामित्व में कोई परिवर्तन न हो;

(ज) चुराई हुई, नकली (कूटकृत) या कपटपूर्ण तरीके से जारी की गई प्रतिभूतियों (सिक्कूरिटीज़) [फिर चाहे वे कागज़ी रूप में हों या गैर-कागज़ी रूप में] की बिक्री करना, उनमें व्यौहार (डील) करना या उन्हें गिरवी रखना:

परंतु यह कि यदि:-

(i) चुराई हुई, नकली (कूटकृत) या कपटपूर्ण तरीके से जारी की गई प्रतिभूतियों (सिक्कूरिटीज़) की बिक्री करने वाला, उनमें व्यौहार (डील) करने वाला या उन्हें गिरवी रखने वाला व्यक्ति आगे चलकर उन प्रतिभूतियों का धारक (होल्डर) बन गया हो; या

(ii) चुराई हुई, नकली (कूटकृत) या कपटपूर्ण तरीके से जारी की गई प्रतिभूतियों (सिक्कूरिटीज़) में पहले कभी बाजार में सद्भावपूर्वक रूप से किए गए लेनदेन (संव्यवहार / ट्रांजेक्शन) के जरिए व्यापार हुआ हो (ट्रेडिंग हुई हो),

तो चुराई हुई, नकली (कूटकृत) या कपटपूर्ण तरीके से जारी की गई प्रतिभूतियों (सिक्कूरिटीज़) को इस तरह से बेचने, उनमें इस तरह से व्यौहार (डीलिंग) करने या उन्हें इस तरह से गिरवी रखने को हेराफेरीयुक्त, कपटपूर्ण या अऋजु (अनुचित) व्यापारिक व्यवहार नहीं समझा जाएगा;”;

iii. खंड (झ) का लोप हो जाएगा;

iv. खंड (ञ) का लोप हो जाएगा;

v. खंड (ट) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्:-

“(ट) किसी मीडिया (फिर चाहे वह फिज़िकल हो या डिजिटल) के जरिए ऐसी जानकारी या सलाह प्रसारित करना, जिसके बारे में उस जानकारी या सलाह को प्रसारित करने वाले व्यक्ति को यह पता हो कि वह मिथ्या या भ्रामक है और जो प्रतिभूतियों में व्यौहार (डीलिंग) करने वाले निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) के निर्णय (विनिश्चय) पर असर डालने के मकसद से गढ़ी जाए या जिससे प्रतिभूतियों में व्यौहार (डीलिंग) करने वाले निवेशकों के निर्णय पर असर पड़ने की संभावना हो;”;

vi. खंड (ठ) का लोप हो जाएगा;

vii. खंड (ड) से (न) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्:-

“(ड) यदि कोई बाजार सहभागी (मार्केट पार्टिसिपेंट) ग्राहक की जानकारी के बिना या ग्राहक के अनुदेशों के बिना ग्राहक की ओर से लेनदेन (संव्यवहार / ट्रांजेक्शन) करता हो अथवा वैश्वासिक हैसियत से धारित ग्राहक की निधियों (फंड्स) या प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) का दुरुपयोग करता हो या उनका अन्यत्र उपयोग करता हो;

(ढ) व्यक्तियों [जिनमें मध्यवर्ती (इंटरमीडियरीज़) भी शामिल हैं] के बीच प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) की बाबत लेन-देन (संव्यवहार) आपस में घुमाना (सर्कुलर ट्रांजेक्शन करना), जिससे बनावटी तौर पर ऐसी प्रतिभूति में व्यापार (ट्रेडिंग) का मिथ्या रूप सृजित हो अथवा जिससे ऐसी प्रतिभूति की कीमत को बढ़ाया जाए, घटाया जाए या उसमें उतार-चढ़ाव लाया जाए;

(ण) बाजार सहभागी (मार्केट पार्टिसिपेंट) द्वारा किसी व्यक्ति को, अपनी दलाली या कमीशन या आय बढ़ाने के उद्देश्य से, प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में व्यौहार (डील) करने के लिए कपटपूर्ण तरीके से उकसाना (उत्प्रेरित करना);

(त) मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) का अभिलेखों (रिकॉर्ड) [जिनमें संविदा नोट (कॉण्ट्रैक्ट नोट), ग्राहक के अनुदेश, शेष प्रतिभूतियों संबंधी विवरण, ग्राहकों के खाता विवरण शामिल हैं] पर पुरानी तारीख डालना या अभिलेखों (रिकॉर्ड) का किसी अन्य प्रकार से मिथ्याकरण करना;

(थ) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) हेतु उस समय कोई सौदा (ऑर्डर) डालना, जब उसके पास प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उन प्रतिभूतियों, उनकी अंडरलाइंग प्रतिभूतियों या उसकी व्युत्पत्ती (डेरिवेटिव) में जल्द होने वाले बड़े लेन-देन (संव्यवहार / ट्रांजेक्शन) से संबंधित ऐसी कोई जानकारी हो जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न हो;

(द) जानबूझकर मिथ्या या भ्रामक खबर बनाना या जानकारी सृजित करना जिससे प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की बिक्री या खरीद को लेकर उकसाया (उत्प्रेरित किया) जा सके;

(ध) प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से संबंधित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) या सेवाओं की गलत-बिक्री;

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनार्थ, "गलत-बिक्री" (गलत-विक्रय) से किसी व्यक्ति द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, -

- (i) जानबूझकर मिथ्या या भ्रामक कथन करते हुए, या
- (ii) जानबूझकर महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाते हुए अथवा उनका लोप करते हुए, या
- (iii) जानबूझकर उससे जुड़े जोखिम को छिपाते हुए, या
- (iv) क्रेता (खरीददार) के लिए प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) या सेवा उपयुक्त है या नहीं इस बात को सुनिश्चित करने हेतु समुचित सावधानी न बरतते हुए,

प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से संबंधित प्रतिभूतियों या सेवाओं की बिक्री अभिप्रेत है।

(न) किसी व्यक्ति द्वारा कोई सामूहिक निवेश (विनिधान) स्कीम प्रायोजित करके या प्रायोजित करवाकर अथवा चलाकर या चलवाकर गैर-कानूनी तरीके से पैसा (निधि / फंड) जुटाना।";

viii. उप-विनियम (2) का स्पष्टीकरण निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण-1 - इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उप-विनियम में ऊपर कुछ करने या न करने के बारे में जो जिक्र है वह अपने आप में संपूर्ण नहीं है और यह कि ऐसा कुछ करना या न करना भी प्रतिषिद्ध है यदि वह विनियम 3 के दायरे में आता हो, इस बात के होते हुए भी कि वह इस उप-विनियम में शामिल नहीं है या उसके बारे में इस उप-विनियम में केवल चुनिंदा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा ही किए जाने का जिक्र किया गया है।

स्पष्टीकरण-2 - बाजार सहभागी (मार्केट पार्टिसिपेंट) में अधिनियम की धारा 12 के तहत रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति या एंटीटी और उसके कर्मचारी तथा अभिकर्ता (एजेंट) शामिल होंगे।"

- (3) विनियम 8 में, उप-विनियम (2) में, शब्द, चिह्न और अंक "कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 235 से 241 के उपबंधों" शब्दों, चिह्नों और अंकों "कंपनी अधिनियम, 2013 (सं. 2013 का 18) के प्रावधानों (उपबंधों)" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/472/18]

पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अशुद्ध व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003, सं. का.आ. 816(अ), 17 जुलाई, 2003 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अशुद्ध व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 तत्पश्चात्:-
 - क) 23 अप्रैल, 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बोर्ड द्वारा जारी समनों और सूचनाओं की तामील की रीति) (संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/2232/2007, द्वारा

- ख) 11 दिसम्बर, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अशुद्ध व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/25/5455, द्वारा
- ग) 6 सितम्बर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अशुद्ध व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/22/22670, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 31st December, 2018

Securities and Exchange Board of India

(Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2018

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/56 .—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003, namely:

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2018.
2. They shall come into force on February 01, 2019.
3. In the Securities and Exchange Board of (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003,

(1) in regulation 2, in sub-regulation (1), clause (b) shall be substituted with the following, namely:

“(b) “dealing in securities” includes:

(i) an act of buying, selling or subscribing pursuant to any issue of any security or agreeing to buy, sell or subscribe to any issue of any security or otherwise transacting in any way in any security by any persons including as principal, agent, or intermediary referred to in section 12 of the Act;

(ii) such acts which may be knowingly designed to influence the decision of investors in securities; and

(iii) any act of providing assistance to carry out the aforementioned acts”

(2) in regulation 4,-

(a) in sub-regulation (1), after the word “a” and before the word “fraudulent”, the word “manipulative,” shall be inserted.

(b) in sub-regulation (1), after the word “securities”, the word “markets” shall be inserted.

(c) in sub-regulation (2),

i. after the word 'a' and before the word 'fraudulent', the word 'manipulative,' shall be inserted;

ii. the words 'fraud and may included all or any of the following, namely' shall be substituted with the words “any of the following”;

iii. in clause (a) before the word “indulging”, the word 'knowingly' shall be inserted;

iv. in clause (c) shall be substituted with the following:

“(c) inducing any person to subscribe to an issue of the securities for fraudulently securing the minimum subscription to such issue of securities, by advancing or agreeing to advance any money to any other person or through any other means;”

v. the clause (d) shall be substituted with the following, namely:

- "(d) inducing any person for dealing in any securities for artificially inflating, depressing, maintaining or causing fluctuation in the price of securities through any means including by paying, offering or agreeing to pay or offer any money or money's worth, directly or indirectly, to any person;"
- vi. in the clause (e), after the word security the words "including, influencing or manipulating the reference price or bench mark price of any securities" shall be inserted;
- vii. in the clause (f) before the word 'publishing', the word 'knowingly' shall be inserted;
- viii. in the clause (f) after the word 'information' and before the word 'which' the words "relating to securities, including financial results, financial statements, mergers and acquisitions, regulatory approvals," shall be inserted;
- ix. the clause (h) shall be substituted with following, namely:
 "selling, dealing or pledging of stolen, counterfeit or fraudulently issued securities whether in physical or dematerialized form:
 Provided that if:-
 (i) the person selling, dealing in or pledging stolen, counterfeit or fraudulently issued securities was a holder in due course; or
 (ii) the stolen, counterfeit or fraudulently issued securities were previously traded on the market through a bonafide transaction,
 such selling, dealing or pledging of stolen, counterfeit or fraudulently issued securities shall not be considered as a manipulative, fraudulent, or unfair trade practice;"
- x. the clause (i) shall be omitted;
- xi. the clause (j) shall be omitted;
- xii. the clause (k) shall be substituted with the following, namely:
 "disseminating information or advice through any media, whether physical or digital, which the disseminator knows to be false or misleading and which is designed or likely to influence the decision of investors dealing in securities;"
- xiii. the clause (l) shall be omitted;
- xiv. the clause (m) shall be substituted with the following, namely:
 "a market participant entering into transactions on behalf of client without the knowledge of or instructions from client or misutilizing or diverting the funds or securities of the client held in fiduciary capacity";
- xv. in the clause (n), after the word 'between' and before the word 'provide', the words " intermediaries in order to increase commission to" shall be substituted with the words "persons including intermediaries to artificially";
- xvi. the clause (o) shall be substituted with the following, namely:
 "fraudulent inducement of any person by a market participant to deal in securities with the objective of enhancing his brokerage or commission or income; ";
- xvii. in the clause (p) after the word 'records' the words "such as contract notes" shall be substituted with the words " including contract notes, client instructions, balance of securities statement, client account statements";
- xviii. the clause (q) shall be substituted with the following, namely:
 "any order in securities placed by a person, while directly or indirectly in possession of information that is not publically available, regarding a substantial impending transaction in that securities, its underlying securities or its derivative;" ;
- xix. in the clause (r) before the word 'planting' the word 'knowingly' shall be inserted;
- xx. in the clause (r) after the word "news" and before the word 'which', the words 'or information' shall be inserted;
- xxi. the clause (s) shall be substituted with the following, namely:
 "mis-selling of securities or services relating to securities market;

Explanation- For the purpose of this clause, "mis-selling" means sale of securities or services relating to securities market by any person, directly or indirectly, by—

- (i) knowingly making a false or misleading statement, or
- (ii) knowingly concealing or omitting material facts, or
- (iii) knowingly concealing the associated risk, or
- (iv) not taking reasonable care to ensure suitability of the securities or service to the buyer.";

xxii. the "Explanation" to the sub-regulation (2) shall be re-numbered as "Expiation-1";

xxiii. after the "Explanation-1" the following explanation shall be inserted, namely:

" Explanation-2 Market Participant shall include any person or entity registered under Section 12 of the Act and its employees and agents. "

- (3) in regulation 8, in sub-regulation (2) the words "section 235 to 241 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)" shall be substituted with the words "the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013)";

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./472/18]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003 were published in the Gazette of India on July 17, 2003 vide No. S.O. 816 (E).
2. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003 were subsequently amended:-
 - a) on April 23, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Manner of Service of Summons and Notices Issued by the Board) (Amendment) Regulations, 2007 vide No. SEBI/LAD/DOP/2232/2007.
 - b) on December 11, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/25/5455.
 - c) on September 06, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/ 2013-14/22/22670.